

कार्य अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

लादूराम बनाम उपखण्ड अधिकारी चाकम् ठ अन्य

केस संख्या : 06 / 2023 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र)

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	दिनांक दिवस
18.08.2023	<p>पत्रावली पत्र हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी चाकम् के पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार रिग्वा आर ए एस का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भरीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी चाकम् के समक्ष विवादाधीन प्रकरण संख्या 360/2022 मय टी आई प्रार्थना पत्र 267/2022 व उनका पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार रिग्वा आर ए एस से न्याय मिलने में शंका जतियर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकम् के पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार रिग्वा आर ए एस का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रन्तव हुन् (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p>	

(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला कलक्टर  
जयपुर